बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

श्री उमेश चन्द्र उपाध्याय, तत्कालीन पणन पदाधिकारी, दानापुर शहर, जिला–पटना सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय आदेश ज्ञापांक–5122 दिनांक–09.10.2017 द्वारा खाद्यान्नों के कालाबाजारी में संलिप्तता, राज्य खाद्य निगम, दानापुर गोदाम के लिए भारतीय खाद्य निगम, फुलवारीशरीफ से निर्गत खाद्यान्न वाहनों का समुचित अनुश्रवण नहीं किये जाने तथा राज्य खाद्य निगम, मसौढ़ी गोदाम से घटिया चावल की आपूर्ति किये जाने संबंधित प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत कालमान् वेतन के न्यूनतम प्रक्रम पर अवनति का दंड संसूचित किया गया। उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री उपाध्याय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या–5113/2017 दायर किया गया, जिसमें सुनवाई के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–03.09.2019 को पारित न्याय निर्णय में उक्त दण्डादेश को set aside करते हुए जाँच प्रतिवेदन के आधार पर यथोचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता अनुशासनिक प्राधिकार को प्रदान की गयी। फलतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में जाँच प्रतिवेदन के आधार पर यथोचित आदेश पारित करने हेतु विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–1280 दिनांक–22.02.2016 द्वारा श्री उपाध्याय के विरूद्ध पूर्व में संचालित विभागीय कार्यवाही को पुनःस्थापित (Restore) करते हुए संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर असहमति के बिन्दु को स्पष्ट करते हुए द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब/लिखित बचाव अभिकथन की माँग की गयी। उक्त के क्रम में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, श्री उपाध्याय द्वारा समर्पित लिखित बचाव अभिकथन एवं उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक–4895 दिनांक–24.12.2020 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी0) के तहत श्री उपाध्याय की पाँच प्रतिशत (5%) पेंशन की कटौती पाँच वर्षो के लिए किये जाने का दण्ड संसूचित किया गया।

श्री उपाध्याय द्वारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या–493/2022 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–24.02.2026 को सुनवाई के क्रम में आदेश पारित करते हुए विभागीय दण्डादेश ज्ञापांक–4895 दिनांक–24.12.2020 को रद्द कर दिया गया है, जिसकी कार्यकारी कंडिका निम्नवत् है :–

"Accordingly, on the basis of the consideration made above, this Court finds the punishment order contained in Memo No. 4895 dated 24.12.2020 to be not sustainable and is accordingly set aside. The respondent authorities are directed to refund the amount of 5% of the pension of the petitioner, which has been recovered till date and are further directed to start the pension of the petitioner, for which he is entitled i.e. 100% pension w.e.f. 01.03.2026. The Respondents are directed to refund the amount deducted till date, within a period of four months from the date of receipts/production of a copy of a order and if the said refund will not be credited in the bank account of the petitioner within the period aforesaid, then the petitioner would be entitled for simple interest @ 6% from the date of passing of the order, till the date of its actual credit in the bank account of the petitioner.

चूँकि माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश में विभागीय दण्डादेश ज्ञापांक–4895 दिनांक–24.12.2020 को रद्द कर दिया गया है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार श्री उमेश चन्द्र उपाध्याय, तत्कालीन पणन पदाधिकारी, दानापुर शहर, जिला–पटना सम्प्रति सेवानिवृत को पूर्ण पेंशन की राशि प्रदान किये जाने, की गई पेंशन कटौती की राशि उन्हें वापस किये जाने तथा अन्य अनुमान्य बकाया/सेवानिवृति लाभों आदि का भुगतान नियमानुसार किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

आदेश पर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(स्वतंत्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

2020/Sec_8/Office Order.Doc

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(पटना)–22/2016 2523 खाद्य, पटना/दिनांक– 25/05/2026

प्रतिलिपि–

1. प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. जिला पदाधिकारी, पटना/पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण एवं पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. अनुमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03 (आपूर्ति सेवा संवर्ग–स्थापना) को निदेशित किया जाता है कि इस आदेश का अविलम्ब अनुपालन कराये जाने की दिशा में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
9. आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
10. श्री उमेश चन्द्र उपाध्याय, सेवानिवृत पणन पदाधिकारी, दानापुर शहर, जिला–पटना, पत्राचार पता–साई निलयम अपार्टमेंट, पुलिस कॉलोनी, अनिसाबाद, पटना–800002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।